अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 53/2012

बिनोद कुमार सिंह —— अपीलार्थी

बनाम

राम लखन साह एवं अन्य —— रेस्पाण्डेन्ट्स/विपक्षीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर के आदेश दिनांक: 16.01.2012 ई० अंदर वाद संख्या– 86/11 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी का अपील आवेदन में कथन है कि अपीलार्थी/आवेदक द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर के न्यायालय में बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत वाद संख्या:– 86/11 दायर किया था।

अपीलार्थी द्वारा आगे यह भी कथन किया गया है कि विवादी भूमि खेसरा नं0 636 अपीलार्थी के पूर्वज के दखल कब्जे में था। दफा 145 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत मिस केश नं0 135/68 में आदेश अपीलार्थी के पूर्वज के पक्ष में पारित किया गया जिसके अनुसार खातियान सीताराम सिंह के नाम से खुला एवं हाल सर्वे में उक्त जमीन के कुछ भाग पर राम लखन साह एवं अन्य के नाम से गलत खाता खुला और जिसके आधार पर विपक्षी प्रथम पक्ष उक्त भूमि बेचना चाहते हैं तथा स्थल पर उनके द्वारा विवाद उत्पन्न करने के कारण विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर के समक्ष वाद दायर किया गया था। आगे यह भी कथन करते है कि रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी द्वारा अपने लिखित जबाब में कथन किया गया है कि पुराना खाता 347 पुराना खेसरा 636 का कुल रकबा 3 बीघा 10 कट्ठा 11 धूर जमीन भूतपूर्व मालिक जमीन्दार का गैर मजरूआ खास भूमि मालिक जमीन्दार ने इसमें से रकवा 01 बीघा 09 कट्ठा 01 धूर साथ अन्य जमीन के पुलेन्द्र नारायण सिंह को बन्दोबस्त किये और पुलेन्द्र नारायण सिंह उक्त जमीन को विपत धोबी को बेचा तथा विपत धोबी ने उक्त भूमि दिनांक 29.08.67 को रामलखन साह, उपेन्द्र साह और शिवनन्दन साह पिता युगल साह को बिकी कर दिया और जिसके आधार पर वे भूमि पर दखल का दावा कर रहे हैं।

रेस्पाण्डेन्ट्स/प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस एवं रिज्वाइंडर

दाखिल किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि ग्राम +पो0– कबीरा, ओ0 पी0– चिरैया, थाना+ अंचल– सलखुआ, थाना संख्या –255 अन्तर्गत पूराना खाता संख्या 347 पूराना खेसरा 636 नया खाता संख्या 790 नया खेसरा संख्या 1102 रकवा 44 डी0 भूमि विवादी प्रश्नगत भूमि है। उपरोक्त खाता संख्या 636 का कुल रकवा 3.10.11 है । उपरोक्त प्रश्नगत भूमि देवकीनन्दन के खास भूमि थी एवं उनके स्वामित्व में थी। ग्राम – सरोजा के फुलेन्द्र नारायण सिंह पिता– पचकुरी सिंह द्वारा पूराना खाता संख्या 347 पूराना खेसरा संख्या 636 (1353 फसली में) सन 1946 में कुल रकबा 3.10.11 में से 01.09.01 भूमि पूर्व मालिक जमींदार देवकीनन्दन जो कि भूमि के वास्तविक दखलकार थे को सलामी की राशि देकर अपने नाम से भूमि प्राप्त की एवं वे उक्त भूमि पर दखलकार हुए । फुलेन्द्र नारायण सिंह ने 1 बीघा 09 कट्ठा 01 धूर भूमि निबंधित बिकी दस्तावेज के माध्यम से दिनांक 11.10.1963 को विपत धोबी पिता –भाटू धोबी को बिकी कर भूमि पर दखल दिला दिया। *विपत धोबी द्वारा बी0 टी0 एक्ट की धारा 09 के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी, सलखुआ से उक्त खाता खेसरा की एराजी भूमि की बिकी हेतु अनुरोध किया गया जिसके आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त भूमि की बिकी हेतु अनुमति प्रदान की गयी*। विपत धोबी द्वारा पूराना खाता संख्या 347 पूराना खेसरा संख्या 636 की उक्त भूमि को दिनांक 29.08.1967 को निबंधित बिकी दस्तावेज के माध्यम से रेस्पाण्डेन्ट्स संख्या 1 से 3 राम खेलावन साह, उपेन्द्र साह एवं शिवनन्दन साह सभी पिता युगल साह को बिकी कर भूमि का दखलकार बना दिया। रेसपाण्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा बिहार सिरिस्ता में विपत साह के नाम चलती जमाबंदी संख्या 1246 को अपने नाम से जमाबंदी 790 दर्ज कराया तदोपरान्त रेस0 संख्या 1 से 3 भूमि का अद्यतन माजगुजारी भुगतान कर रसीद प्राप्त करते आये है।

रेस्पाण्डेन्ट्स आगे यह भी कथन किये है कि पूराना खाता संख्या 636 से नया खाता संख्या 1097, 1102 एवं 1098 बना एवं नया खाता संख्या 1097 एवं 1098 रेस्पाण्डेन्ट् संख्या 1 से 3 के नाम से भूमि पर दखल के आधार पर बिहार सिरिस्ता में नाम दर्ज हुआ, परन्तु 1098 का खाता गलती से सीताराम सिंह के नाम से खुल गया था जिसके लिए बी0 टी0 एक्ट की धारा 106 के अन्तर्गत मुकदमा संख्या 33294/85 चला वो उसमें रेस्पाण्डेन्ट्स के नाम खाता खोलने का आदेश हुआ वो मुताबिक रेस्पाण्डेन्ट्स के नाम खाता खुला।

रेस्पाण्डेन्ट्स आगे यह भी कथन किये है कि अपीलार्थी/ वादी दफा 145 दं0 प्र0 सं0 मोकदमा का जिक न्यायालय को धोखा देने के नियत से गलत दावा लाए हैं वो दफा 145 दं0 प्र0 सं0 का आदेश बिल्कुल नाजायज है, उस आधार पर अपीलार्थी/ वादी का का दखल कब्जा विवादी भूमि पर न कभी हुआ और न है। ***अंतिम प्रकाशित खतियान वर्ष 1985 में प्रकाशित हो चुका है जिसके विरूद्ध अगले तीन साल तक ही अपील किया जा सकता है*** केवल इस आधार पर ही प्रस्तुत अपील वाद खारीज योग्य है।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में यह उल्लिखित किया गया है कि " ***वादी के अर्जी दावा से यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि प्रश्नगत विवादी खेसरा 1102 रकबा 44 डी0 भूमि के विरूद्ध सर्वे के किसी भी स्तर में किसी भी प्रकार का कोई वाद दाखिल नहीं की गई, जिस वजह से अंतिम प्रकाशित खतियान वर्ष 1985 में प्रकाशित होने के उपरान्त वर्ष 2011 में खतियान इन्द्राज में संशोधन लाना नियम विरूद्ध है।***"

रेस्पोण्डेट्स द्वारा रिज्वाइंडर एवं लिखित बहस के साथ फुलेन्द्र ना0 सिंह से विपत धोबी को केबाला की छाया प्रति, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सलखुआ से अनुमति की छाया प्रति, विपत धोबी से रेस0 संख्या 1 से 3 को किए गये केबाला की छाया प्रति एवं रेन्ट रसीद की छाया प्रति दाखिल किया है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख पर रक्षित कागजात, रेस्पाण्डेट्स का रिज्वाइंडर एवं लिखित बहस का अवलोकन

किया, पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। चूँकि last record of right फाईनल हाल सर्वे खतियान ही होता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा